प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 25.05.2026

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे 01 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना दुधारा पुलिस*** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता 01. जगदीश पुत्र लोटन निवासी पिपरा गोविन्द थाना दुधार जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री शोभनाथ, हे0का0 रामविनय यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 7670 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 01 व्यक्ति को भिजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 7670 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बयारे से कालर द्वारा मारपीट विवाद में घायल 01.व्यक्ति (1. शेरू चौहान पुत्र अज्ञात सा0 बयारे थाना को0 खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट/विवाद में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों सराहना व प्रशंसा की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 रामदुलारे यादव, हो0चा0 शिवानन्द चौधरी।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 444 वाहनों से 5,91,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 25.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 444 वाहनों से 5,91,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा ***श्री अरविन्द कुमार शर्मा*** द्वारा मु0अ0सं0 155/2026 धारा 64(1), 351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अर्जुन कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी कम्हरिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 25.05.2026 को भिटवा बाजार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 07.05.2026 को थाना बखिरा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ उपरोक्त अभियुक्त द्वारा जबरन दुष्कर्म करने, विडियो बनाने व धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 25.05.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द शर्मा, हे0का0 अजय कुमार सिंह, का0 अंगद यादव, रि0का0 अर्पित।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के मामले में 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 25.05.2026 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 04,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा उ0नि0 श्री रामस्वरुप कमल थाना धनघटा द्वारा अभियुक्त 01. पिन्टू पुत्र तिलई उर्फ तीजे निवासी रामपुर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 130 ग्राम अवैध चरस बरामद कर थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री अवध बिहारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 193/2005 धारा 20/22 एनडीपीएस एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त पिन्टू पुत्र तिलई उर्फ तीजे उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि व 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्त उपरोक्त को 30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप जबरन तहबाजारी वसूली करने, मार पीट करने व गाली, धमकी देने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 4,500 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***“ऑपरेशन कन्विक्शन”*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 25.05.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 4,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री प्रभात कुमार जायसवाल पुत्र योगेन्द्र प्रसाद जायसवाल निवासी उत्तर पट्टी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के साथ अभियुक्त 01. नागेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र रामसूरत विश्वकर्मा निवासी अंजहिया बाजार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जबरदस्ती तहबाजारी वसूल किया गया तथा वादी को गाली व धमकी देते हुए मारपीट किया गया। वादी द्वारा थाना मेंहदावल पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री वी0वी0 कन्नौजिया द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 336/2005 धारा 323, 504, 506, 384 भादवि जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 4,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्त उपरोक्त को 30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

क्रैक साइबर क्राइम के तहत आनलाईन साइबर ठगी के शिकार हुयी पीड़िता को साइबर सेल थाना दुधारा पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 12,000 रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना दुधारा टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन ठगी की शिकार एक महिला के खाते से उड़े ₹12,000 की शत-प्रतिशत धनराशि वापस कराई गयी है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

श्रीमती साबरीन खातून पत्नी शोएब अहमद निवासी करही थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के बैंक के खाते से एक अज्ञात ठग द्वारा ₹12,000 की ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ली गई थी। पीड़िता द्वारा इसकी तत्काल सूचना थाना दुधारा पर दी गयी। जहां अधिकारियों के निर्देश पर साइबर टीम ने सक्रियता दिखाते हुए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायत संख्या-33109250120042 दर्ज कराई और फ्रॉड की गई रकम को तुरंत होल्ड (फ्रीज) करा दिया गया। पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य व बैंक विवरणों के साथ फ्रीज पैसों को अवमुक्त (Unfreeze) कराने हेतु विधिक आख्या प्रस्तुत की मामले के तथ्यों और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ₹12,000 की संपूर्ण धनराशि आवेदिका साबरीन खातून के पक्ष में वापस (अवमुक्त) कराया गया।

***बरामदगी टीम-* •** उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा, आरक्षी अनुज कुमार, आरक्षी ऋषिकेश यादव, रिक्रूट आरक्षी हर्ष सिंह राजकुमार, रिक्रूट महिला आरक्षी एकता सिंह।